

विधिक सहायता (सेवा) के लिये आवेदन

प्रा०सं०—

सेवा में
सदस्य सचिव
उच्चतम न्यायालय
विधिक सहायता समिति,

सेवा में
सदस्य सचिव
उच्च न्यायालय
विधिक सहायता समिति

सेवा में
सदस्य सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

सेवा में
सदस्य सचिव
तहसील विधिक सेवा समिति

- | | |
|--|------------------------------------|
| <p>1. नाम -</p> <p>2. पिता/पति का नाम -</p> <p>3. पता -
 (क) निवास -
 (ख) व्यवसाय -</p> <p>4. (क) आयु एवं जन्म तिथि - (). / /
 (ख) शिक्षा - / /</p> <p>5. स्तर/एकल/विवाहित/तलाकशुदा -</p> <p>6. आश्रितों की संख्या एवं आवेदक से उनका सम्बन्ध -</p> <p>7. कोई अन्य वित्तीय दायित्व -</p> <p>8. व्यवसाय -</p> <p>9. प्रतिमाह आय -
 (कृपया सक्षम अधिकारी द्वारा समरूप रूप से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) -</p> <p>10. आय के अन्य स्रोत, यदि कोई हों -</p> <p>11. परिवार के सदस्य की मासिक आय एवं स्रोत -</p> <p>12. आवेदक उसके आश्रित एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण एवं मूल्य -</p> <p>13. कोई अन्य सम्बन्धित सूचना -</p> <p>14. विधिक सहायता की प्रकृति एवं चाही गई सलाह -</p> <p>15. क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विमुक्त जातियों/नोमाडिक जनजातियों/थर्ड जेडर/महिलाओं/बच्चों से सम्बन्धित हो (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें, यदि आवेदक SC/ST/VI/NTI से सम्बन्धित हो) -</p> <p>16. क्या मामला जिसके सम्बन्ध में विधिक सहायता और सलाह चाही गई है, पूर्व में न्यायालयों में दाखिल किया गया है? यदि हाँ, परिणाम। -</p> | <p>अभ्यर्थी का
नवीनतम फोटो</p> |
|--|------------------------------------|

अभ्यर्थी का
नवीनतम फोटो

हस्ताक्षर आवेदक

क्रमशः ।

17. क्या किसी अधिवक्ता की राय मामले में चाही गई है? यदि हाँ, तो अधिवक्ता की विशिष्टताएँ एवं उसकी राय सत्यापित किया जात है, कि उपरोक्त दी गयी सूचना सत्य और सही है एवं यदि यह असत्य पाई जाये, तो E/1 सं० 13 के अन्तर्गत प्रदान योग्यता के प्रमाण पत्र को रद्द करने की समिति को स्वतन्त्रता होगी।

अंगूठा निशानी

हस्ताक्षर

दिनांक / /

स्थान

नाम :

पता :

.....

.....

.....

करार

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक, एतद्वारा सहमत हूँ कि न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में मुझे लागत या अन्य मौद्रिक हित या लाभ को प्रदान करने के आदेश की डिक्री को जारी करने की दशा में, मुझे विधिक सहायता देने में समिति द्वारा वहन सभी लागतों, प्रभारों एवं खर्चों के पुनर्भरण के जरिये मैं पुनर्भुगतान करूंगा, मैं एतद् द्वारा समिति के सदस्य सचिव को सभी ऐसे कार्य और वस्तुओं को करने के लिये भी अधिकृत करता हूँ, जैसे मुझे भुगतान किये जाने वाले डिक्री या आदेश की राशि की वसूली या मुक्ति के लिये और उपरोक्त उल्लेखित प्रयोजन के लिये उसका पुनर्भरण करने के लिये आवश्यक हो।

दिनांक -

आवेदक

स्वीकृति

मैं सहमत हूँ, कि मेरा मामला माननीय न्यायालय/न्यायालयों में लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये, यदि यह किसी स्तर पर यह उक्त न्यायालय विधिक सहायता समिति द्वारा विचारित किया जाये, कि मेरे मामले को लोक अदालत के जरिये सुधारा या निपटाया जाये अथवा अन्य न्यायालयीन कार्यवाहियों के अन्तर्गत चाहा गया अनुतोष (रिलीफ) प्रदान किया जावे।

दिनांक -

कार्यालय रिपोर्ट

आवेदक